कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित	**श्री चन्द्रभानु, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी	**सर्वश्री लल्लू जी एंड सन्स, 1-रामबाग, इलाहाबाद।**
प्रार्थना पत्र संख्या	**101 / 08 (प्रतिप्रेषित)**
प्रार्थी की ओर से	**श्री राकेश रंजन अग्रवाल, अधिवक्ता व श्री श्रीकृष्ण तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत निर्णय

1. सर्वश्री लल्लू जी एंड सन्स, 1-रामबाग, इलाहाबाद द्वारा उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत दिनांक 3.3.08 को प्रस्तुत किये गये प्रार्थना-पत्र में निम्नलिखित प्रश्न निर्णय हेतु उल्लिखित हैं :-

1. पांडाल, शामियाना या अस्थायी ढाचा फर्निशिंग मैटेरियल के साथ बिक्री की परिभाषा धारा-2 (एसी) के अन्तर्गत आच्छादित है या नहीं ?
2. प्रथम प्रश्न का उत्तर हॉ है तो कर की दर क्या होगी ?
3. क्या उपरोक्त स्थिति में धारा-13 के अन्तर्गत इनपुट-टैक्स क्रेडिट का लाभ मिलेगा या नहीं ?

2. **व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर निर्णय दिनांक 24.3.08** को पारित करते हुए व्यापारी का प्रार्थना-पत्र अग्राह्य **मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया था। कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश, लखनऊ** द्वारा दिये गये निर्णय दिनांक 24.3.08 के विरूद्ध व्यापारी ने अपील संख्या-12 / 08 अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के समक्ष प्रस्तुत की थी जिसका निस्तारण अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 28.8.08 से करते हुए धारा-59 के अन्तर्गत पारित निर्णय दिनांक 24.3.08 को अपास्त करते हुए वाद कमिश्नर, वाणिज्य कर को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि प्रार्थी द्वारा उल्लेख किये गये प्रश्नों का उत्तर स्पष्ट मत व्यक्त करते हुए दिया जाय और यह भी देखा जाय कि व्यापारी द्वारा संदर्भित न्यायिक निर्णय किस सीमा तक लागू होते हैं।

3. प्रार्थी की ओर से श्री राकेश रंजन अग्रवाल, अधिवक्ता व श्री श्रीकृष्ण तिवारी, अधिकृत प्रतिनिधि सुनवाई हेतु उपस्थित हुए और उनके द्वारा कहा गया कि व्यापारी प्रदर्शनी अथवा सामाजिक समारोह आदि के लिए पांडाल, शामियाना अथवा अस्थायी निर्माण, फर्निशिंग मैटेरियल तथा फर्नीचर यथा-कारपेट, सोफा, कुर्सी, मेज आदि किराये पर देते हैं। उनका कहना है कि उनके द्वारा बनाये जाने वाले पांडाल, शामियाना एवं अस्थायी निर्माण माल की परिभाषा में नहीं आते हैं। उनका यह भी कहना है कि टेन्ट, शामियाना, पांडाल एवं अस्थायी निर्माण आदि से सम्बन्धित समस्त सामानों पर हमेशा व्यापारी का ही Possession रहता है। उनका कहना है कि यह कार्य केवल सेवा के अन्तर्गत आता है। जिस अवधि में उक्त सामानों का उपयोग किया जाता है उस अवधि में सम्पूर्ण कार्य का रख-रखाव तथा सुरक्षा और अवधि की समाप्ति के बाद निर्माण को विघटित करना प्रार्थी का ही दायित्व होता है। उनका यह भी कहना है कि ढाचा खड़ा करने में कपड़ा, बल्ली, कनात, टिन, रस्सी, कील, कॉटा आदि अनेक वस्तुओं का प्रयोग करके ढाचा खड़ा किया जाता है।

.......2

<u>सर्वश्री लल्लू जी एंड सन्स / प्रा0 सं0-101 / 08 (प्रतिप्रेषित) / धारा-59 / पृष्ठ-2</u>

उनका तर्क है कि चूँकि यह कार्य "माल" की श्रेणी में नहीं आता है इसलिए इस सम्बन्ध में प्राप्त किराये पर कोई करदेयता नहीं होती है। उनका दूसरा तर्क यह है कि चूँकि समस्त कार्य पर प्रार्थी का ही प्रभावी नियन्त्रण बना रहता है इसलिए उनके द्वारा किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार अन्तरित नहीं किया जाता है, इसलिए भी उनका कोई कर दायित्व नहीं बनता है।

व्यापारी ने अपने तर्कों के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक निर्णयों का हवाला भी दिया है :-

1. स्टेट ऑफ आन्ध्र प्रदेश व अन्य बनाम राष्ट्रीय इस्पात निगम लि0 126 STC 114
2. भारत संचार निगम लि0 बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया 2006 NTN 336
3. हरबंश लाल व अन्य बनाम हरियाण राज्य 88 STC 357
4. मार्डन डिकोरेटर्स के मामले में पश्चिम बंगाल कर अधिकरण द्वारा दिया गया निर्णय
5. गाँधी एसोसिएट्स, अहमदाबाद बनाम गुजरात राज्य के मामले में गुजरात वैल्यू ऐडेड टैक्स ट्रिब्यूनल द्वारा दिया गया निर्णय

प्रार्थी की ओर से अन्त में यह भी कहा गया कि अनूसची-II के क्रमांक-3 में कॉपी राइट, पेटेन्ट, रिप्लेसमेन्ट लाइसेन्स आदि का उल्लेख है जिससे विदित होता है कि इस प्रविष्टि में केवल स्पर्श न किये जाने योग्य वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार का अन्तरण ही शामिल किया गया है।

4. **व्यापारी के प्रार्थना-पत्र पर एडिशनल कमिश्नर,** ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन से पत्र संख्या-982, दिनांक 4.3.08 द्वारा आख्या माँगी गयी थी जो उन्होंने पत्रांक-830, दिनांक 14.3.08 से प्रेषित की है। इस आख्या में कहा गया है कि व्यापारी पांडाल, शामियाना, फर्नीचर आदि वस्तुएं किराये पर देते हैं। यह कार्य धारा-2 (ac) (4) में शामिल है और इन वस्तुओं के प्रयोग का अधिकार अन्तरित होने के कारण प्राप्त किराये की धनराशि पर 4% की करदेयता है। उन्होंने यह भी कहा है कि चूँकि व्यापारी माल का पुन: विक्रय नहीं करता है अत: उन्हें इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ अनुमन्य नहीं होगा।

5. मेरे द्वारा धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों, प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत तर्कों तथा न्यायिक निर्णयों एवं एडिशनल कमिश्नर, ग्रेड-1, वाणिज्य कर, इलाहाबाद जोन से प्राप्त आख्या पर विचार किया गया और पाया गया कि प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित तथ्यों से विदित होता है कि प्रार्थी सम्बन्धित पार्टियों के निर्देशानुसार प्रदर्शनी अथवा सामाजिक समारोह के लिए शामियाना, पांडाल व अस्थायी निर्माण करके किराये पर देते हैं और इसके साथ-साथ फर्निशिंग मैटेरियल तथा फर्नीचर यथा-कारपेट, सोफा, कुर्सी, मेज आदि भी किराये पर देते हैं। व्यापारी द्वारा उक्त सामान एक निश्चित अवधि के लिए किराये पर दिया जाता है। व्यापारी द्वारा किराये पर दिये जाने वाले टेंट, कनात, फर्निशिग मैटेरियल तथा फर्नीचर आदि निर्विवाद रूप से माल की श्रेणी में आते हैं। व्यापारी द्वारा टेन्ट, कनात व टिन शीट आदि का प्रयोग कर के जो पांडाल, शामियाना आदि अस्थायी निर्माण तैयार किये जाते हैं वे चल सम्पत्ति होने के कारण माल की श्रेणी में आते हैं अत: व्यापारी का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि उनके द्वारा जो वस्तुएं किराये पर दी जाती हैं वे माल की श्रेणी में नहीं आती है।

.......3

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर
धारा-59
अनुभाग

चूँकि व्यापारी उक्त सामान एक निश्चित अवधि के लिए सम्बन्धित पार्टी को किराये पर देते हैं और उस अवधि में पांडाल, शामियाना अस्थायी निर्माण, फर्निशिग मैटेरियल तथा फर्नीचर आदि प्रार्थी द्वारा किराये पर दी गयी वस्तुओं का Possession उस पार्टी के पास रहता है जिसे उक्त सामान किराये पर दिये गये हैं इसलिए प्रार्थी का यह तर्क भी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है कि वह किसी वस्तु के प्रयोग का अधिकार अन्तरित नहीं करता है। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा-2 (ac) के क्लॉस-IV में निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग किया गया है :-

" a transfer of the right to use any goods for any purpose (whether or not for a specified period) for cash, deferred payment or other valuable consideration "

उपरोक्त शब्दावली से स्पष्ट है कि इसमें किसी भी वस्तु के प्रयोग के अधिकार का अन्तरण सम्मिलित है, चाहे वह किसी भी अवधि के लिए किया गया हो, यदि ऐसे प्रयोग के अधिकार का अन्तरण नकद, अस्थगित भुगतान या अन्य मूल्यवान प्रतिफल किया गया है।

चूँकि प्रार्थी निश्चित किराये और निश्चित अवधि के लिए टेन्ट, कनात, फर्निशिग मैटेरियल, फर्नीचर आदि के प्रयोग का अधिकार उसे अन्तरित कर देते हैं जिससे किराया प्राप्त होता है इसलिए धारा-2 (ac) (4) के प्राविधानों के अनुसार व्यापारी को किराये के रूप में प्राप्त होने योग्य धनराशियाँ निश्चय ही बिक्री की श्रेणी में आती है।

जहाँ तक व्यापारी द्वारा संदर्भित निर्णयों का प्रश्न है तो इन निर्णयों में केवल यह कहा गया है कि कोई भी धनराशि Transfer of the right to use के अन्तर्गत तभी कर योग्य होगी जब किसी माल के प्रयोग का अधिकार अन्तरित किया गया हो और जब सम्बन्धित माल का Possession भी अन्तरित किया गया हो।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि व्यापारी टेन्ट, कनात, फर्निशिग मैटेरियल तथा फर्नीचर आदि के प्रयोग का अधिकार अन्तरित करते हैं और जिस अवधि में उक्त वस्तुओं का प्रयोग Transferee द्वारा किया जाता है उक्त अवधि में उक्त वस्तुओं पर प्रभावी Possession Transferee का ही रहता है इसलिए प्रार्थी द्वारा संदर्भित निर्णयों में उन्हें कोई मदद नहीं मिलती है।

अतः प्रार्थी द्वारा पांडाल, शामियाना अथवा अस्थायी निर्माण में प्रयुक्त वस्तुएं तथा फर्निशिग मैटेरियल और फर्नीचर आदि किराये पर देने के एवज में हुई प्राप्तियाँ धारा-2 (ac) (4) के अनुसार बिक्री की श्रेणी में आती हैं और तदनुसार कर योग्य हैं।

जहाँ तक कर की दर का प्रश्न है तो उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की अनुसूची-II, भाग-ए की प्रविष्टि संख्या-3 में Transfer of the right to use को भी शामिल किया गया है। इसलिए प्रार्थी को किराये के रूप में मिलने वाली प्राप्तियाँ अनुसूची-II, भाग-ए की प्रविष्टि संख्या-3 के अन्तर्गत 4% की दर से कर योग्य होंगी। उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 की धारा- 3ए के प्राविधानों के अनुसार अतिरिक्त कर भी देय होगा।

जहाँ तक Transfer of the right to use के अनुसार होने वाली प्राप्तियों पर आई0 टी0 सी0 की सुविधा

.......4

की अनुमन्यता का प्रश्न है तो चूँकि Transfer of the right to use में अन्तरग्रस्त वस्तुओं की पुनः बिक्री वास्तविक रूप से नहीं की जाती है इसलिए प्रार्थी को धारा-13 के अन्तर्गत आई0 टी0 सी0 की सुविधा अनुमन्य नहीं होगी।

6. प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत धारा-59 के प्रार्थना-पत्र में उल्लिखित प्रश्नों का उत्तर उपरोक्तानुसार दिया जाता है।

7. उपरोक्त की एक प्रति व्यापारी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 10 जुलाई, 2010

ह0 / 10.7.2010

(चन्द्रभानु)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश ,लखनऊ।

12/7/10

प्रमाणित प्रतिलिपि

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर धारा-59 अनुभाग उ0प्र0